न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा अजमेर
पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला 05/2018

1– श्री रामदेव पुत्र श्री नानू जाति चमार
2 श्रीमति गंगा पत्नि श्री नानू जाति चमार निवासी ग्राम जामोला तहसील मसूदा
——————प्रार्थी

ब ना म

1– श्री पोलू पुत्र श्री रेमता जाति चमार
2– श्री जेठू पुत्र श्री श्री रेमता जाति चमार
3– श्रीमति जडाव पत्नि श्री रमेश उर्फ रामेश्वर जाति चमार
4– श्रीरमेश उर्फ रामेश्वर पुत्र श्री बालू जाति चमार
5– श्री पारसमल पुत्र श्री बीरमा जाति चमार
6– श्रीछोटूलाल पुत्र श्री बीरमा जाति चमार
7– श्रीसूरजमल पुत्र श्री बीरमा जाति चमार
8– श्रीसांवरा पुत्र श्री बीरमा जाति चमार
सभी निवासीगण ग्राम निवासी ग्राम जामोला तहसील मसूदा
9 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मसूदा राज0
———अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 व 111राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में साराशतः निवेदन किया है कि ग्राम जामोला तहसील मसूदा जिला अजमेर स्थित आराजी ख0 न0 2490 रक्बा 01–06–00 .2494 रक्बा 01–12–00 बिस्वा उनकी खुदकाश्त से खातेदारी की भूमि है जिनमें पडौसी काश्तकार अप्रार्थीगण पाल डोल डालने को लेकर विवाद करते रहते है अतः नियमानुसार पत्थरगढी करवाई जावे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। अप्रार्थीगण उपस्थित होकर पूर्ण सहमती है इस हेतू शपथ पत्र पेश किया ।

वकील प्रार्थी को सुनाया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम बड़ा आसन की जमाबंदी संवत 2070–73 के खाता संख्या 502 में ख0 न0 2490 रक्बा 01–06–00 .2494 रक्बा 01– 12–00 बिस्वा प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में है अतः वे पत्थरगढी करवाने के अधिकारी पाये जाते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है और आदेश दिये जाते है कि –

आदेश

तहसीलदार मसूदा को ग्राम जामोला स्थित प्रश्नगत आराजी ख0 2490 रक्बा 01–06–00 .2494 रक्बा 01– 12–00 बिस्वा में मौका कमीश्नर रु 1500/– कोस्ट पर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत भूमि जरिये नक्शा व जमाबंदी अनुसार मौके पर जरिये माप एवं सीमांकन सीमा कायम कर पत्थरगढी कारवाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 11/9/18 को सरे इजलास अदालत में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.05 16:22:21 IST
Reason: SelfAttested